बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

श्री विनोद कुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी, औषधि नियंत्रण प्रशासन, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–137(15), दिनांक–11.02.2006 द्वारा दिनांक–18.10.2003 से 08.07.2004 तक स्वीकृत असाधारण अवकाश अवधि को कार्य अवधि के रूप में रूपांतरित करने हेतु दिनांक–06.02.2026 को जनता दरबार के माध्यम से विभाग में आवेदन समर्पित किया गया है। श्री कुमार के उक्त अवधि के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है–

श्री कुमार के क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी के पद पर मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर में पदस्थापन के दौरान नकली दवाईयाँ बाजार में बेचे जाने में मिलीभगत के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–60(15), दिनांक–25.01.2003 द्वारा निलंबित किया गया तथा नियमानुसार विभागीय संकल्प संख्या–170(15), दिनांक–22.02.2003 द्वारा इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन (अधिगम) में प्रमाणित आरोप के आधार पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–1572(15), दिनांक–18.10.2003 द्वारा निलंवन मुक्त करते हुए निम्नवत दंड/शास्ति संसूचित किया गया –

(i) तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक
(ii) निन्दन
(iii) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं।
(iv) श्री कुमार से क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियाँ दो वर्ष के लिए वापस ली गयी तथा दो वर्ष के अन्दर उनके कार्य–कलाप में सुधार होने पर उन्हें शक्ति दिया जाना विचारणीय होगा।

उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री कुमार के द्वारा न तो मुख्यालय में न ही औषधि नियंत्रण प्रशासन, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर में योगदान किया गया।

निलंबन मुक्ति के उपरांत में विभागीय अधिसूचना संख्या–552(15), दिनांक–22.05.2004 द्वारा श्री कुमार को औषधि निरीक्षक के पद पर किशनगंज (शहरी) में पदस्थापित किया गया जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–09.07.2004 को योगदान किया गया। इस अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए उनके विरूद्व विभागीय संकल्प संख्या–1012(15), दिनांक–08.09.2005 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही के उपरांत में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम/जाँच प्रतिवेदन में अंकित अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–137(15), दिनांक–11.02.2006 द्वारा श्री कुमार के अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि दिनांक–18.10.2003 से 08.07.2004 तक को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करते हुए सेवा विनियमित किया गया।

श्री कुमार द्वारा अपने सेवानिवृति के उपरांत सेवान्त लाभ एवं अन्य लाभो के भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना में समादेश याचिका (CWJC) संख्या–8258/2005 (विनोद कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया। इस वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–08.12.2010 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"However with consent of the parties, the writ petition is being disposed of with liberty to the petitioner to file a detailed representation before the respoudent no. 3 within a period of six weeks from today. If such representation is filed, Respondent no. 3 is required to examine the same and if

he finds claim of the petitioner as genuine, he will pass appropriate order within a period of three months from the date of filling of such representation for release of the claimed amount. In case of refusal to grant relief to the petitioner, respoundent no. 3 is directed to pass a speaking order within the aforesaid period.

With the above observation and direction, the petition stands disposed of."

विदित हो कि श्री कुमार के सभी सेवान्त लाभ एवं अन्य अनुमान्य लाभ का नियमानुसार भुगतान माननीय न्यायालय के उक्त न्यायादेश पारित होने के पूर्व ही कर दिया गया था केवल दिनांक–18.10.2003 से 08.07.2004 तक की अवधि, जिसे असाधारण अवकाश के रूप मे स्वीकृत किया गया था, जो नियमानुसार भुगतेय नही था, के कारण भुगतान नही किया गया था। याचिकाकर्ता श्री कुमार द्वारा माननीय न्यायालयों के उक्त न्यायादेश के आलोक में दिनांक–18.10.2003 से 08.07.2004 तक की जिसे विभागीय पत्रांक–137(15), दिनांक–11.02.2006 द्वारा असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था, को कार्य अवधि के रूप में रूपांतरित कर भुगतान करने हेतु अपना अभ्यावेदन दिनांक–06.03.2011, 06.07.2011 एवं 20.06.2023 को विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें उक्त अवधि में श्री कुमार द्वारा कार्य करने संबंधी न तो जिक्र था न ही कोई साक्ष्य।

पुनः विदित हो कि विभागीय अधिसूचना संख्या–1572(15), दिनांक–18.10.2003 द्वारा श्री कुमार को निलबंन मुक्त किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–552(15), दिनांक–22.05.2004 द्वारा किशनगंज में पदस्थापन किया गया परन्तु श्री कुमार द्वारा दिनांक–18.10.2003 से 08.07.2004 तक न तो मुख्यालय में तथा न हीं किशनगंज में योगदान किया गया एवं अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इस अनुपस्थिति के संबंध में जाँचोपरांत/सम्यक विचारोपरांत उक्त अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था। श्री कुमार के अभ्यावेदन में उक्त अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में कोई कारण का उल्लेख/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। फलतः सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार के अभ्यावेदनों को विभागीय आदेश ज्ञापांक–409(15), दिनांक–25.03.2025 एवं ज्ञापांक–887(15), दिनांक–01.08.2025 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि श्री कुमार द्वारा पुनः दिनांक–06.02.2026 को जनता दरबार में समर्पित अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य एवं दिनांक–18.10.2003 से 08.07.2004 तक के अनुपस्थिति के संबंध में कोई स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं है। अतएव विभागीय पत्रांक–137(15), दिनांक–11.02.2006 द्वारा असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत अवधि (दिनांक–18.10.2003 से 08.07.2004) को कार्य अवधि के रूप में रूपान्तरित करने हेतु श्री कुमार द्वारा पुनः दिनांक – 06.02.2026 को समर्पित आवेदन/अभ्यावेदन एतद् द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०–02–28/2005 201 (15A) पटना/दिनांक : 18/03/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार,

पटना/संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक/श्री बिनोद कुमार, क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी,सेवानिवृत, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना। पताः–बी 202, शिवशंकर अपार्टमेंट, बजरंगपुरी, पटना–800007, मो०–7256999590, व्हाट्सप न०–7070762719, ईमेल–bkumar0946@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।